न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 247 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00311

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन		1. तिलोक पुत्र हुकमा जाति खटीक निवासी सिरियारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक - 18/6/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 292 रकबा 1.4038 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 310 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गोचर थी, जिसका का आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 310 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी पाली अप्रार्थी के हक में सम्पूर्ण प्रकिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रूपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैर आराजी भूमि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के तहत आने वाली भूमि में से भिन्न है तथा इससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 292

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रकबा 1.4038 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि अप्रार्थी के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि की किस्म आवंटन से पूर्व गोचर दर्ज थी। उक्त भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में नियमन करने से नामान्तरकरण संख्या 310 के जरिये अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि की आंवटन से पूर्व किस्म गोचर थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। गोचर की भूमि कॉमन लैण्ड में परिभाषित होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। अतः तहसीलदार खारची द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया नियमन तथा उक्त नियमन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार खारची के आदेश क्रमांक/राज./109 दिनांक 16.02.1983 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 310 को निरस्त करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली
अति.जिला कलेक्टर,पाली